असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ग्रामीण विकास में योगदानः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पूनम यादव, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सार

ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्रियान्वित की जाती हैं। चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और असंगठित क्षेत्र रोजगार द्वारा जीवनयापन करती है, इसीलिए ग्रामीण विकास में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भूमिका का अध्ययन ग्रामीण विकास में उनके योगदान को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोगी हो सकता है। साथ ही ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी आज भी असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक किस प्रकार अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह भी ज्ञात करने में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अध्ययन सहयोगी हो सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध पत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ग्रामीण विकास में योगदान का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन लखनऊ जनपद के काकोरी विकास खण्ड के करझन गाँव में किए गए क्षेत्र कार्य पर आधारित है।

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास में योगदान देने वाले कृषि श्रमिक एवं भूमिहीन मजदूर असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। इनका हमारे जीवन को संवारने तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। असंगठित श्रमिक छोटे–छोटे कामगारों का ही एक रुप हैं, जो रोजगार की अनियमित प्रकृति, निरक्षरता एवं प्रतिष्ठानों के छिन्न भिन्न स्वरुपों इत्यादि समस्याओं की वजह से अपने साझा हितों को प्राप्त करने हेतु स्वयं को संगठित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस क्षेत्र के न केवल बिखरे हुए हैं बल्कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जिसमें से अधिकांशतः लोग अशिक्षित हैं एवं उनके पास मूलभूत आवश्यकतायें जैसे कि भोजन, कपड़ा एवं मकान इत्यादि भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इतना ही नहीं इसमें से अधिकांश लोग कई पीढ़ियों से इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं।

ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मानवीय श्रम का ही है। कुल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या का लगभग 92.5 प्रतिशत भाग गाँव में ही रहते हैं। ये लोग खेतिहर मजदूरों के रुप में, बढ़ईगिरी, पुताई का काम, सड़क निर्माण, कुटीर उद्योग जैसे कि मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, डेरी फॉर्म, हस्तशिल्प, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न रहकर अपनी अजीविका अर्जित करते हैं एवं ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं, परन्तु पिछले कुछ दशकों से ग्रामीण पलायनवाद की प्रवृत्ति में अनापेक्षित रुप से वृद्धि हुई है। अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति अवसर मिलने पर

शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, फिर चाहे उसका कारण युवकों हेतु क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव हो या फिर उनके लिए रोजगार के अवसरों की कमी। शहरों में ये लोग अधिकांशतः खुदरा कारोबार, थोक व स्ट्रीट मार्केट तथा फुटगर दुकानदार इत्यादि छोटे छोटे कार्यों में अपना योगदान देते हैं।

इस शोध पत्र में ग्रामीण विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। इसमें गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसके अन्तर्गत अवलोकन, व्यैक्तिक अध्ययन एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करके प्राथमिक तथ्य का संकलन किया गया है। यह शोध पत्र लखनऊ जिले के काकोरी ब्लाक के करझन गाँव के अध्ययन पर आधारित है। इसमें असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों के लोगों के दृष्टिकोण एवं प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है।

गुलाटी ने ग्रामीण श्रमिकों की दशाओं की दशाओं का अध्ययन किया और पाया कि समाज में कमजोर वर्गों, जहां महिलाओं की श्रम में सहभागिता दर अधिक है, वहां कार्य चाहने वाली महिलाओं में बेरोजगारी का स्तर पुरुषों की अपेक्षा लगभग दो गुना अधिक है (1976)। असंगठित क्षेत्र की अवधारणा व समस्याओं को स्पष्ट करते हुए पपोला (1980) ने पाया कि इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में उचित तकनीकी तथा सुविधाओं के अभाव की वजह से इन लोगों की आय व उत्पादकता में बहुत कमी होती है। यद्यपि ये वर्ग शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गाँवों से शहरों की ओर आने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके, उनकी उत्पादकता बढ़ सके तथा कार्य दशाओं में सुधार भी हो सके।

निगम (1997) के अनुसार, सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे की उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का दो भागों में विभाजित किया है–परम्परागत व्यावसायिक श्रमिक और मजदूरी करने वाले श्रमिक। असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा की जरुरतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजशेखर (2005) ने कर्नाटक में सहभागी विधि का प्रयोग किया। अध्ययन के आधार पर पता चला कि चयनित उत्तरदाताओं में से 92.3 प्रतिशत श्रमिकों का मानना था कि बुढ़ापा, बेरोजगारी, मृत्यु, बीमारी, चोट एवं दुर्घटना के लिए उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। प्रजनन आयु समूह की महिलायें भी मातृत्व लाभ लेना चाहती थीं। चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं इसलिए उनकी प्राथमिकतायें भी अलग–अलग ही होती हैं। जो खेतिहर मजदूर थे उनका मानना था कि वृद्धावस्था सबसे प्रमुख है इसके बाद बेरोजगारी की समस्या है। निर्माण श्रमिक बेरोजगारी को प्राथमिकता देते हैं वृद्धावस्था और रोजगार के समय चोट की समस्या उनके लिए गौण है। घरेलू कामगार भी वृद्धावस्था को ही प्राथमिकता देते थे इसके पश्चात् बेरोजगारी और बीमारी को चिन्ता का विषय मानते थे। उन्होंने अध्ययन में पाया कि 7.7 प्रतिशत श्रमिक अपनी

सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते थे। इस प्रतिशत में वे लोग थे, जिनकी छोटी से भी छोटी प्राथमिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी।

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर काफी निम्न होता है, जिसके कारण उन्हें एक अच्छी नौकरी तलाश करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है (सिंह, 2007)। धारावी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने के लिए मैथ्यू (2008) ने सामाजिक आन्दोलन की भूमिका का अध्ययन किया। उन्होंने सर्वप्रथम असंगठित क्षेत्र को व्यवस्थित करने में जो समस्या थी उसकी पहचान की और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संयंत्रित करने वाले भाग के रूप में सामाजिक आन्दोलन की भूमिका का विश्लेषण किया। उन्होंने अपने अध्ययन में महाराष्ट्र के साथ धारावी के असंगठित क्षेत्र के सामान्य और महिला श्रमिकों की कठिनाइयों को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की दशाओं के विश्लेषण के लिए गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया। यूनियन का श्रमिक पर सकारात्मक प्रभाव जानने के लिए उन्होंने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको उन्होंने स्पष्ट किया।

केस 1:

40 वर्षीय पी. आर. 5वीं पास हैं। उनके परिवार में 35 वर्षीय पत्नी के. आर. एवं 5 बच्चे हैं। पी. आर. के चार निजी विद्यालय में पढ़ते हैं एवं बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। वह एक राजगीर मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं। उनके पिता भी एक मिस्त्री थे। पी. आर. ने भी जब से कार्य शुरूआत किया तब वह मजदूरी करते थे। उनके पास स्वयं की कोई जमीन नहीं है। गाँव के प्रधान से कुछ जमीन मकान बनाने के लिए मिली थी, उसी पर वह सरकारी कालोनी का मकान बनाकर रहते हैं। जब पी. आर. से इस विषय पर चर्चा की गयी कि वह अपने कार्य से सन्तुष्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि अब इस कार्य में पहले जैसी बात नहीं रही। पिछले चार–पाँच सालों से उन्होंने अपना ज्यादातर कार्य ठेके पर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि अब मजदूर नहीं मिलते हैं, जिनके सहयोग के बिना इस कार्य को नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं जब से मनरेगा शुरू हुआ है, तब से मजदूरों को काफी सुविधायें मिल गयी है, ऐसे में कोई मजदूर उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। मनरेगा में उन्हें अतिरिक्त कार्य उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें सबलता मिलती है। आगे उन्होंने बताया कि इससे एक बात तो अच्छी हुई है कि मनरेगा की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों में मोल भाव करने की क्षमता आ गयी है। पी. आर. कहते हैं हालांकि मनरेगा में हमारे जैसे मिस्त्री के लिए काम की कमी है, परन्तु मजदूरों के लिए यह एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है।

पी. आर. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस समय वैसे ही काम मिलने में मुश्किल हो रही है, उस पर सस्ते मजदूर न मिलने की वजह से कार्य को समय पर खत्म करना मुश्किल हो जाता है, जबकि उनके कार्य को दिए गये समय में समाप्त करने का दबाव भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में कार्य करने में काफी मुश्किले हो रही हैं। ऐसे में बदलते हालातों में अब स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का काफी दबाव बढ़ गया है। शहर में लोगों के द्वारा जो उनके जानने वाले हैं उनके माध्यम से कार्य मिलता है। इससे हम जैसे गाँव में कार्य करने वाले लोगों को उनसे काफी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। गाँव में लोग कच्ची मिट्टी का ढोला बनाकर स्लेप डलवाते हैं, परन्तु शहरों में सटरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब गाँवों के लोग भी सटरिग की मांग करने लगे हैं, जिससे कि अब उनके अनुरूप कार्य करके देने को विवश होना पड़ता है। आगे वह बताते हैं कि शुरूआत से ही वह मिट्टी की ढाला पर कार्य कर रहे हैं तो उस पर काम करना आसान होता है, परन्तु सटरिंग में थोड़ी मुश्किल आती है।

केस 2:

जी. एस. 25 वर्षीय स्नातक पास युवा हैं, जो अपने गाँव में ही खुद का रोजगार करते हैं। इनके पिता के पास गाँव में ही थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कृषि करते थे। उनके पिता का लगभग एक साल पहले देहान्त हो चुका है। अब परिवार के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी जी. एस. के कन्धे पर ही आ गई। जी. एस. भी पहले अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाता था, परन्तु बाद में उससे पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। उनके परिवार में 55 वर्षीय माँ, 2 भाई व तीन बहनें हैं। दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। वह अपने पिता के कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसमें मेहनत बहुत है और मुनाफा बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि गाँवों में फोटो कॉपी मशीन की सुविधा न होने के कारण उन्हें 5–6 किमी.दूर जाना पड़ता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है। जब से गाँव में उन्होंने फोटोकापी की दुकान खोली है तब से लोगों को काफी सुविधायें हो गयी है।

जी.एस. ने बताया कि गाँव में भी अब शिक्षा का स्तर काफी ठीक हुआ है, परन्तु अभी भी अच्छी व उच्च शिक्षा के लिए लोगों को गाँव से काफी दूर लगभग 20–25 किमी. जाना पड़ता है। वह कहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर प्राप्त शिक्षा में कम्प्यूटर इत्यादि की पढ़ाई न होने की वजह से लोगों कम्प्यूटर व इंटरनेट के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि प्राइमरी स्तर पर भी यदि बच्चों के लिए कम्प्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाये, तो वह भी कम्प्यूटर से जुड़े रोजगार के क्षेत्र में जा सकते हैं। वह कहते हैं कि जब उनके पास सुविधा हो जायेगी, तो वह गाँव को प्रशिक्षित करने के लिए कम्प्यूटर व इंटरनेट की सेवा गाँव के बच्चों को उपलब्ध करायेंगे जिससे कि आगे आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो एवं वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकें।

केस 3:

43 वर्षीय एल. एस. एक अशिक्षित महिला हैं। वह अपने 49 वर्षीय पति एवं एक पुत्र व तीन पुत्रियों के साथ एकाकी परिवार में रहती हैं। उनकी बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। दूसरी बेटी स्नातक कर चुकी है। तीसरी बेटी व बेटा निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। एल. एस. अपने पति के साथ कृषि कार्य करती हैं। हालांकि उनके पास जो जमीन है उस पर खेती करने के आलावा वह दूसरों की जमीन पर बटाई पर कृषि भी करती हैं। उनके सारे बच्चे भी कृषि कार्य में उनको सहयोग करते हैं। वह परम्परागत कृषि कार्य के अलावा मुख्य रुप से मौसमी सब्जियों व फूलों का उत्पादन भी करती हैं। केवल सब्जियों या परम्परागत खेती में उनको मुनाफा कम होता था, इसीलिए वह फूलों की खेती भी करने लगी। उनके पति व बेटा शहर की मण्डी में सब्जियों व फूलों को बेचने के लिए ले जाते हैं।

ग्रामीण विकास के विषय में चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि अब गाँव में भी सुविधायें हो गयी हैं। अब लोगों के पास आवागमन के साधन हो गये है, जो कि पहले किसी किसी के पास ही होते थे। अब बीमारी के लिए इलाज की पद्धतियों में काफी सुधार हुआ है। पहले लोग झाड़ फूंक, जड़ी बूटी व मंत्रों द्वारा ही इलाज कराते थे। पहले डॉक्टर बहुत ही कम होते थे, जो केवल शहरों में ही रहते थे, इसीलिए लोगों को इलाज के लिए गाँव से काफी दूर शहर में जाना पड़ता था। कभी कभी तो रास्ते में ही गम्भीर रोगी की मृत्यु हो जाती थी। गरीब लोग तो कभी इलाज करा भी नहीं पाते थे। अब लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और वह भले ही झोलाछाप डॉक्टर से दवाई लें, परन्तु वह डॉक्टरी इलाज को ही महत्व देते हैं। साथ ही अब संस्थागत प्रसव को महत्व दिया जाने लगा है। पहले लोग घर पर ही दाई या बुजुर्ग महिला के निर्देशन में प्रसव करवाते थे। एल. एस. बताती हैं कि उन्हें परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजनाओं के विषय में जानकारी है, क्योंकि उनकी बेटी को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है। उसी से उनको इस योजना के बारे में जानकारी हुई।

केस 4:

के. वाई. 35 वर्षीय पुरुष हैं। वह गाँव में ही चांट की दुकान लगाते हैं। उनके परिवार में 29 वर्षीय पत्नी एल. वाई., दो पुत्रियां जे. एस. व एम. एच. तथा एक पुत्र आर. एन. हैं। इनके पिता भी चांट का ठेला लगाया करते थे, परन्तु कुछ साल पहले उनका देहान्त हो गया। अब के. वाई अकेले ही काम करते हैं पहले वह पिता के साथ मिलकर करते थे। गाँव में विकास एवं परिवर्तन के विषय में उन्होंने बताया कि गाँव में पहले लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, परन्तु अब अधिकांश लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। जब यह चर्चा की गयी कि उन्हें शौचालय की जानकारी कहाँ से हुई तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में जानकारी टेलीविजन व रेडियो के माध्यम से हुई है। गाँव के प्रधान के यहाँ भी सबके नाम की लिस्ट आयी थी कि सरकार ने गाँव

में सभी के लिए शौचालय बनाने के लिए सहायक राशि भेजी है। इस प्रकार उनके यहाँ शौचालय का निर्माण हो पाया।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार द्वारा मिली राशि से शौचालय तो बनवा लेते हैं क्योंकि उसकी जाँच सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है, परन्तु वह लोग शौचालय का उपयोग न करके खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। अधिकांश बुजुर्ग लोगों का मानना है कि घर में शौचालय बनवाकर उसमें शौच करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे घर अपवित्र हो जाता है।

केस 5:

आर. पी. 55 वर्षीय हैं। वह दूसरे गाँव में सड़क के किनारे लोहे की वस्तुओं को गर्म करके उनको बनाने व धार देने का काम करता है। इसके लिए उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी भट्टी भी लगा रखी है। उनके परिवार में 50 वर्षीय पत्नी, तीन पुत्र तथा 2 पुत्रियाँ हैं। उनकी दोनों पुत्रियों व एक पुत्र का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा जिसका विवाह हो चुका है वह अपनी पत्नी सहित अलग परिवार में रहता है एवं वह मजदूरी करता है। उसके गाँव के प्रधान द्वारा सरकारी कॉलोनी मिली थी। दोनों अविवाहित पुत्र ही उनके साथ रहते हैं। यह उनका पुश्तैनी कार्य है। यही उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन हैं। दूसरा बेटा भी मजदूरी करता है जिससे उनको थोड़ी सहायता मिल जाती है। तीसरा बेटा शहर में ही रहता है किराये के मकान में और वहीं किराने की दुकान में काम करता है।

आर. पी. ने बताया पिछले कुछ वर्षों से उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका काम हसिया, खुरपी, हल, कुदाल इत्यादि की फाल बनाने तथा अन्य लोहे के औजारों की धार बनाने का है। अब लोगों द्वार जुताई के लिए हल के प्रयोग की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके कारण हल की फाल बनाने का काम ही समाप्त हो गया है। लोग फसल काटने के लिए भी लोहे की बनी हसिया की जगह बाज़ार में मिलने वाली हसिया का इस्तेमाल करने लगे है जिससे यह काम भी धीरे–धीरे समाप्ति की कगार पर है। आगे वह कहते हैं कि अब गाँव में उनके लिए काम कम ही बचा है। अब वह मजदूरी भी नहीं कर सकते। वह कहते हैं कि जब तक थोड़ा बहुत काम चल रहा हैं कि जब तक करेंगे, आगे क्या होगा बाद में देखा जायेगा।

गाँव के विकास के बारे में उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब गाँवों में भी बहुत बदलाव आ गये हैं। वर्तमान में लोगों के पास विभिन्न प्रकार के आधुनिक साधन हो गये जिससे उनके कार्य में आसानी हो जाती है। अब गाँव में भी लोग कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन का प्रयोग करने लगे हैं। अब लोगों के खान पान में भी

काफी परिवर्तन आया है। अब लोग परम्परागत खाने की जगह फास्ट फूड जैसे कि चाउमिन, बर्गर का इस्तेमाल करने लगे हैं।

केस 6:

बी. वाई. 58 वर्षीय हैं। वह हलवाई का काम करते हैं। उनका स्वयं का पक्का मकान है। उनके परिवार में तीन पुत्र, दो बहुयें, 2 पुत्रियाँ तथा दो पोते व एक पोती हैं। उनकी पत्नी का 4 साल पहले देहान्त हो चुका है। उनकी दोनों पुत्रियों व दो पुत्रों का विवाह हो चुका है। उनका दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ स्वयं के अलग मकान में रहता है एवं मजदूरी करता है जबकि बड़ा बेटा उनके साथ में ही हलवाई का काम करता है। बी. वाई. अधिकतर शादी विवाह में खाना बनाने का काम करते हैं। जब विवाह कार्य नहीं होते हैं उस समय में वह गाँव में ही समोसे, मिठाई व चाउमिन बनाकर बेचते हैं। ग्रामीण विकास के बारे में उनका कहना है कि पहले कि अपेक्षा अब गाँवों में बहुत विकास हुआ है, क्योंकि पहले गाँवों में सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, अब सब जगह आर.सी.सी. सड़कों का निर्माण हो गया है। आगे वह कहते है कि पहले गाँवों में लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं होते थे, केवल जो धनी लोग थे उनके पास ही थोड़े साधन थे, परन्तु अब गाँव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास स्वयं का साधन न हो। अब तो गाँवों तक टैक्सी एवं सरकारी बसें भी चलने लगी हैं जिससे लोगों को बहुत सुविधा हुई है।

नशे के विषय में उन्होंने बताया कि वह पहले बहुत शराब पीते थे परन्तु टलीविजन एवं रेडियो पर इसके दुष्प्रभावों को देखकर शराब पीना छोड़ दिया। आगे वह कहते हैं कि एक दिन ऐसा था कि वह शराब पिये बिना नहीं रह पाते थे और आज तो शराब को देखते भी नहीं है। अब वह कभी कभी बीड़ी सिगरेट ही पी लेते हैं, परन्तु उनका दूसरा बेटा अब उनके जैसे ही प्रतिदिन शराब का सेवन करता है। वह कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह नशा करना छोड़ दे परन्तु वह ऐसे लोगों की संगत में रहता है जो कि नशे के आदी हैं।

निश्कर्श:

व्यैक्तिक अध्ययनों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा विभिन्न प्रकार से ग्रामीण विकास में योगदान दिया जा रहा है। केस 1 से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भवन निर्माण हेतु राजगीर को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे गाँव के विकास में अपने कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार केस 2 से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कम्प्यूटर फोटोकापी आदि की सुविधा से जहां लोगों को छोटे–छोटे कार्य के लिए गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ता है, वहीं इससे रोजगार के अवसर का सृजन भी हुआ है। केस 3 से यह पता चलता है कि अब कृषि

की परम्परागत फसलों के अतिरिक्त फूलों व सब्जियों की खेती के प्रति लोगों का रूझान हुआ है तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। केस 4 से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब फेरी वाले खाने पीने की चीजों का भी व्यवसाय करने लगे हैं, जबकि पहले इस तरह की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी तथा लोग अपने घर पर बनी खाद्य सामग्री का ही उपयोग करते थे। इसी प्रकार कस 5–6 से यह भी स्पष्ट होता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में पहले की अपेक्षा बदलाव आया है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं ने उनके परम्परागत रोजगार को प्रभावित किया है।

सन्दर्भ सूचीः

गुलाटी, लीला. 1976. ''अनइम्प्लाइमेन्ट अमंग फीमेल एग्रीकल्चरल लेबरर्स्'', इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली. पेज 31.

पपोला, टी.एस. 1980. ''इन्फॉर्मल सेक्टरः कान्सेप्ट एण्ड पॉलिसी'', इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली. वाल्यूम XV. नं. 18.

निगम, आदित्य. 1997. ''रीथिंकिंग द *अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर*'', *सोशल एक्शन. वाल्यूम 47, नं. 2.*

राजशेखर, डी., एस.पी. मधेश्वरन एवं जे. सुचित्रा. 2005. ''डिजाइन एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिटस् फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स इन कर्नाटका'', *इन्स्टीटियूट ऑफ सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज.* बैंगलोर.

सिंह, वी. 2007. *वुमेन वर्कस् अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर.* न्यू दिल्लीः डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0.

टीनू, के. मैथ्यू. 2008. रोल ऑफ सोशल मूवमेन्टस् इन ऑर्गनाइजिंग द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्सः ए केस स्टडी ऑफ एलईएआरएन. धारावी. पेज 16–19.